प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.06.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा थानों में रखे माल का निस्तारण करने सम्बन्धी "ऑपरेशन दहन" अभियान के अन्तर्गत कमिश्नरेट के समस्त थानों के कुल 63 अभियोगों से सम्बन्धित कुल 16378.079 कि0ग्रा0 मादक पदार्थों (अनुमानित कीमत 20 करोड़ 61 लाख 10 हजार 600 रुपये) का निपटान/विनिष्टीकरण किया गया।

कमिश्नरेट गाजियाबाद के थानों के मालखानों में काफी समय से काफी मात्रा में माल मादक पदार्थ यथा - चरस, गांजा, डोडा, हेरोइन, स्मैक, नशीलापाउडर, नशीली गोली, अफीम तथा कोडीन युक्त कफ सीरप आदि जमा थे, जिनके निस्तारण करने के लिए श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा दिनांक 01.03.2026 से 31.05.2026 तक "ऑपरेशन दहन" के नाम से एक विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अभियान में विभागाध्यक्ष श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 30.06.2026 तक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ड्रग डिस्पोजल हेतु पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उच्च स्तर पर अपर पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय (अध्यक्ष), अपर पुलिस उपायुक्त अपराध (सदस्य), व अपर पुलिस उपायुक्त यातायात (सदस्य) तथा जोन स्तर पर तीनों पुलिस उपायुक्त अध्यक्ष तथा सहायक पुलिस आयुक्त अपराध (सदस्य) व सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध (सदस्य) के नेतृत्व में ड्रग डिस्पोजल कमेटियों गठित की गई थीं। उच्च स्तरीय कमेटी व जोन स्तरीय तीनों ड्रग डिस्पोजल कमेटियां तथा नारकोटिक्स सेल के अधिकारी/कर्मचारीगण के प्रयास से थानों के मालखानों में रखे मादक पदार्थों का दिनांक 09.06.2026 व 10.06.2026 को निस्तारण/विनष्टीकरण की कार्यवाही माननीय न्यायालय की अनुमति/विभागाध्यक्ष की अनुमति तथा सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना नियन्त्रक से एन0ओ0सी0 तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद से एन0ओ0सी0 प्राप्त करने के पश्चात की गई। कमिश्नरेट गाजियाबाद की उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा थाना नन्दग्राम के मालखाने में दाखिल 15735.000 लीटर कोडीन युक्त नशीला कफ सीरप प्रतिबन्धित मात्रा होने के कारण विनष्टीकरण किया गया। नगर जोन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 334.042 कि0ग्रा0 गांजा, 39.500 कि0ग्रा डोडा, 0.615 कि0ग्रा स्मैक, 0.509 कि0ग्रा0 नशीली गोलियों का डिस्पोजल किया गया। ग्रामीण जोन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 221.600 कि0ग्रा0 गांजे का डिस्पोजल/विनष्टीकरण किया गया। तथा ट्रांसहिंण्डन जोन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 11.080 कि0ग्रा0 गांजा, 28.600 कि0ग्रा0 डोडा, 2.200 कि0ग्रा0 चरस तथा 0.610 कि0ग्रा नशीला पाऊडर व 0.067 कि0ग्रा0 नशीली गोलियों का डिस्पोजल किया गया तथा ट्रांस हिंण्डन जोन ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा 4.206 कि0ग्रा0 अफीम को सरकारी अफीम व क्षारोद कारखाना नियन्त्रक गाजीपुर में जमा कराया जा रहा है। उपरोक्त समस्त अफीम का सरकारी अफीम व क्षारोद कारखाना गाजीपुर में प्रयोग दवाईयां बनाने में किया जायेगा। उक्त अभियान के तहत दिनांक 09.06.2026 व 10.06.2026 को उपरोक्त सम्पूर्ण माल माननीय न्यायालय की अनुमति व विभागाध्यक्ष की अनुमति तथा मुख्य कारखाना नियन्त्रक, सरकारी अफीम व क्षारोद कारखाना नई दिल्ली तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी

गाजियाबाद से अनापत्ति प्राप्त कर उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के अध्यक्ष अपर पुलिस आयुक्त अपराध/मुख्यालय व सदस्यों की मौजूदगी में तथा तीनों ड्रग डिस्पोजल कमेटियों के अध्यक्ष व सदस्यों की मौजूदगी में M/S Vijay Gupta, MS Environ waste Connection LLP, Common Bio Medical waste Treatment Disposal/Discarded Medicine BN 102, 104 Phase-III UPSIDC, MG Road industrial Area, Dhoulana PS Dhoulana, Dist. Hapur में सम्बन्धित थानों के प्रभारी अधिकारी/कर्मचारीगण (मालखाने के हैड मौहर्रिर) द्वारा सभी मानक पूर्ण करते हुए विनष्टीकरण/निस्तारण किया गया । उच्च स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी तथा तीनों जोन स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटियों द्वारा नष्ट किये गये कुल **माल 16378.079 कि0ग्रा0** की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत **20 करोड़ 61 लाख 10 हजार 600 रुपये** है। इतने अधिक मात्रा में थानों में रखे माल/मादक पदार्थो के निस्तारण से थाना परिसर एवं मालखाना के साफ-सफाई में सकारात्मक सुधार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19-04-26 को वादी श्री जलालूद्दीन पुत्र स्व0 मुनफेद निवासी ग्राम महाराजपुर गाजियाबाद ने थाने सूचना दी कि दिनाँक 18-19/4/26 रात्रि समय करीब 12:00 बजे अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी न0 UP14 FB2556 से शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर आ रहा था सरकारी स्कूल के पास महाराजपुर में एक स्विफ्ट गाड़ी न0 DL5CS-0127 ने प्रार्थी की गाड़ी में टक्कर मार दी आपस मे बहस बाजी व गाली गलौच करने के बाद मै अपने घर आ गया था, तभी कुछ समय बाद मै अपने घर के बाहर रोड के किनारे खडा था तभी समय करीब 12 बजकर 15 मिनट पर रात्रि में उसी दिनांक को स्कूटी से तीन लोग 1. रियाज उर्फ बाबू पुत्र स्व हारुन 2. राहुल पुत्र अन्नू अली 3. समीर खान पुत्र खालिद निवासी महाराजपुर जनपद गाजियाबाद आये और स्कूटी पर पीछे बैठे बाबू ने मुझ पर जान से मारने कि नियत से पिस्टल से फायर किया था जो पास में पार्किंग में खडी वेगनार गाड़ी न0 UP14 EF7992 के पीछे से शीशे में गोली लगी मै बाल बाल बच गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लिंकरोड पर मु0अ0सं0 धारा 352/351(3)109(1) BNS का मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 10-06-26 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गेट नं01 कौशाम्बी बस अड्डे के पास से 01 फयरिंग की घटना में संलिप्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त समीर खान उपरोक्त ने बताया कि पहले रियाज की जलालुद्दीन व उसके पुत्र असद से पुरानी रजींश को लेकर कहासुनी हो गयी थी तो हम तभी से इसकी तलाश मे थे दिनांक 19.04.2026 को मैं व अजीम खान उर्फ राहुल व रियाज हम तीनों साथ अपनी स्विफ्ट गाड़ी से घूम रहे थे हमे पता चला था कि जलालुद्दीन अपनी स्कार्पियो गाड़ी से आ रहा है तो हमने महाराजपुर में छोटी मस्जिद के पास रोड पर उसकी गाड़ी मे टक्कर मार दी थी फिर उसने हमारी गाड़ी का पीछा भी किया था तथा फिर हम तीनो अपनी स्विफ्ट गाड़ी को लेकर भाग गये थे। यह पिस्टल रियाज के घर रखी थी फिर हम तीनो कुछ समय बाद रियाज के घर मे रखी पिस्टल को लेकर स्कूटी से आये तो जलालुद्दीन अपने परिवार के साथ अपने घर के पास खडा था मैं स्कूटी चला रहा था तथा बीच में राहुल बैठा

था तथा रियाज सबसे पीछे बैठा था जब हम जलालुद्दीन के घर के पास पहुँचे तो रियाज ने पिस्टल निकालकर जलालुद्दीन पर फायर कर दिया था फिर हम तीनो अपनी इस स्कूटी को लेकर वहां से भाग गये थे, और पुलिस के डर से छिप गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

(1) समीर खान पुत्र शौकीन अली निवासी मकान नंबर 185 बड़ी मस्जिद के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 10.06.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त शिव कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी गली न0 07 ताज टैंट हाउस के पास केशव नगर इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना करावल नगर दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने करीब 03-04 महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी जिसे आज मैं बेचने की फिराक में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिव कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी गली न0 07 ताज टैंट हाउस के पास केशव नगर इन्द्रापुरी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

दिल्ली से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में थाना करावल नगर दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उक्त चोरी का वाहन बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से चोरी की टोयोटा फॉर्च्यूनर बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 09.06.2026 को थाना साहिबाबाद पर वादी श्री आदित्य मिहिर पुत्र श्री हेमन्त कुमार शर्मा निवासी 4/26, सेक्टर-5, राजेंद्र नगर, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा लिखित तहरीर दी गयी जिसमें दिनांक 09.06.2026 की रात्रि 03.00 बजे अज्ञात चोरों ने मेरे घर के सामने पार्क की गई Toyota FORTUNER कार का रंग: सफ़ेद (White). वाहन पंजीकरण संख्या (Vehicle No.): UP14GE7707 चुरा ली है। चोरी की इस घटना को अंजाम देने से पहले, चोरों द्वारा मेरे घर के सामने लगे हुए दो सीसीटीवी (CCTV) कैमरों को भी तोड़ दिया और उस अवसर का फायदा उठाकर कार चोरी कर ली। हमें सुबह 08:15 बजे कार के चोरी होने का पता चला। वादी श्री आदित्य मिहिर की सूचना पर थाना साहिबाबाद द्वारा तत्काल उचित धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। तथा घटना के सफल अनवारण व बरामदगी करने हेतु थाना साहिबाबाद द्वारा एक टीम का गठन किया गया। जिस पर थाना साहिबाबाद टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए 24 घण्टे में चोरी हुई कार टोयोटा फार्च्यूनर व 02 अभियुक्त को दिनांक 10.06.2026 को रोटरी गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किये गये। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण :- अभियुक्त शावेज़ वह सहवाज ने पूछने पर बताया कि हमारे गैंग का लीडर हमारा साथी नदीम है नदीम के पास ही अलग-अलग राज्य से अलग-अलग गाड़ियों की मांग आती है जैसे ही उसके पास जिस भी गाड़ी की मांग आती है तो हम तीनों लोग मिलकर उसी गाड़ी को दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव में जंहा से भी मौका मिलता है वही से गाड़ी चुरा लाते है उसके बाद उस गाड़ी का इंजन नंबर, चेचिस नंबर व रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर व गाड़ी की डेन्टिग पेंटिग कराकर उसी राज्य में बेच देते है गाड़ी किस राज्य में जाएगी और किसी आदमी को देनी है इसकी सारी जानकारी नदीम के पास ही होती है जब हम दोनों लोग गाड़ी को यहां से लेकर निकल जाते है तब नदीम भाई ही हमें बताते है कि गाड़ी को किस राज्य मे लेकर जाना है। अधिकतर हम लोग गाड़ियां महाराष्ट्र गुजरात और उत्तर पूर्वी राज्यों में बेचते हैं और गाड़ी को बेचकर जो भी पैसा मिलता है उसे पैसे को हम तीनों लोग आपस में बराबर बांट लेते हैं।

अपराध कारित करने का तरीका- अभियुक्तों द्वारा दिल्ली एनसीआर मे सुनशान व अंधेरे वाले स्थानों पर खड़ी गाडियो को पहले चिन्हित कर लेते है उसके बाद रात्रि मे आकर उक्त गाड़ी को इलेक्ट्रानिक उपकरण की मदद से लॉक तोड़ देते है तथा नई चाबी तैयार कर गाड़ी को चुरा लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता :-

1. शहबाज मिर्जा पुत्र जावेद मिर्जा निवासी बागपत गेट मकसूद अली का चौक थाना दिल्ली गेट जनपद मेरठ उम्र 30 वर्ष
2. शाहवेज उर्फ शावेज पुत्र जावेद मिर्जा निवासी बागपत गेट, मकसूद अली का चौक थाना दिल्ली गेट जनपद मेरठ उम्र 32 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- अभियुक्तों के कब्जे से एक कार टोयोटा फॉर्च्यूनर रजि0न0 (UP-14-GE-7707) तथा 02 फर्जी नम्बर प्लेट रजि0न0 MH-11-DL-3223 बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना साहिबाबाद में 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- थाना साहिबाबाद पुलिस टीम कमि0 गाजियाबाद।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति गिरफ्तार कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

दिनांक 09.06.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा थाना नन्दग्राम क्षेत्र में चेकिंग के दौरान वीवीआईपी कट की तरफ से एक संदिग्ध व्यक्ति आता प्रतीत हुआ जिसको पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। उक्त संबंध में तत्काल थाना नन्दग्राम पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण- दिनांक 09.06.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति वीवीआईपी कट की तरफ से आता दिखाई दिया तो पुलिस टीम द्वारा बिना मौका गवाये उक्त व्यक्ति को चेकिंग के लिए रोका गया। उक्त संदिग्ध व्यक्ति के कब्जे से एक

अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ । उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता –

विशाल उपाध्याय पुत्र वेदपाल उपाध्याय निवासी- पीर वाली गली नूर नगर सिहानी थाना नंदग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त विशाल उपाध्याय उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब मुझे यह तमंचा वीवीआईपी के पीछे पीर के पास पडा हुआ मिला था उक्त तमंचे को मैने लोगो मे अपनी दहशत व दबदबा बनाने के लिए शौकिया तौर पर रखा हुआ था ।

बरामदगी का विवरण –

01 तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास- अभियुक्त विशाल उपाध्याय उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग आर्म्स एक्ट संबंधी पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।